

झारखण्ड सरकार
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 22/5/15

संख्या-1/पी0-102/2015 का० - 4570 / अधिसूचना संख्या-4220 दिनांक 11.05.2015 द्वारा निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रवीण शंकर, भा.प्र.से. (झा:98) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड), झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है।

2. श्री प्रवीण शंकर, भा.प्र.से. (झा:98) द्वारा धारित किये जाने की तिथि से निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड), झारखण्ड, राँची के गैर संवर्गीय पद को कर्तव्य एवं दायित्व में भा.प्र.से. (वेतन नियमावली-2007 के नियम-9(7) के शिड्यूल-III(A) के अन्तर्गत प्रमण्डलीय आयुक्त के वेतनमान पे बैंड-4 रु0 37,400-67,000/- + ग्रेड पे रु0 10,000/- में संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(आभा काशी)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-102/2015 का० - 4570 / राँची, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपि- होडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी/ कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री प्रवीण शंकर, भा.प्र.से. (झा:98) द्वारा धारित किये जाने की तिथि से निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड), झारखण्ड, राँची के गैर संवर्गीय पद को कर्तव्य एवं दायित्व में भा.प्र.से. (वेतन नियमावली-2007 के नियम-9(7) के शिड्यूल-III(A) के अन्तर्गत प्रमण्डलीय आयुक्त के वेतनमान पे बैंड-4 रु0 37,400-67,000/- + ग्रेड पे रु0 10,000/- में संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

(आभा काशी)

सरकार के अपर सचिव।